

**FIRST INFORMATION REPORT**  
**(Under Section 154 Cr.P.C.)**

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2016 **FIR No:** 13 **Date:** 04.02.2016

2. **Act(s):** **Section(s)**  
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7/13(1) D  
(ii)  
(iii)  
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Thursday **Date From:** 04.02.2016 **Date To:** 04.02.2016

**Time Period:**

**Time From:**

**Time To:**

(b) **Information received at P.S:** **Date:** 04.02.2016

**Time:** 11.30 hrs

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 5

**Time:** 11.30 hrs

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S SOUTH/WEST/5 .0 KM**

**Beat No.:** 01

(b) **Address: Area Of Distt. HISAR, HISAR**

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

**Name of P.S: SVB (H) Hisar**

**District: Hisar**

6. **Complainant/Informant:**

**Name: INSP ANIL KUMAR SVB HSR**

(a)

(b) **Birth year:** **Nationality: INDIAN**

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:**

7 **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

(i) **DHEERAJ S/O SUBE SINGH R/O KHARKARA TEH. HANSI DISTT HISAR**

(ii) **SUNIL KUMAR HSR, HEMRAJ JJR, YOGESH KUMAR BWN, ASHOK KUMAR JAKHOD KERA**

(iii) **RAMNIWAS HANSI, MAHABIR NIMLI BWN AND JAGRAM ROHTAK**

8 **Total value of property stolen:**

9 **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

10 **Total value of property stolen:**

11 **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12 **F.I.R Contents (attach separate sheet, if**

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 3 दिनांक 22.07.2014 हिसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/34/14-3 चौकसी-II दि० 18.07.2014 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो पंचकुला के पृ०क्र० न० 10151/आई-3/रा.चौ.ब्यूरो (ह०) दि० 23.07.2014 अनुसार इस मण्डल मे जांच हेतू एस.पी. एस.वी.बी. हिसार के कार्यालय मे प्राप्त हुई थी यह जांच अजयवीर पुत्र श्री सिंगारा सिंह जाति जाट वासी लोधर

तहसील नरवाना जिला जीन्द की शिकायत के आधार पर दर्ज रजि० की गई थी जिसमें शिकायत कर्ता द्वारा आरोप लगाये कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विज्ञापन संख्या 4/2008 व 2/2010 के तहत कार/जीप ड्राइवरो की भर्ती कि गयी जिसमें भारी धाधली सामने आई है । 1. उक्त पदो के लिये भर्ती किये गये कार/जीप ड्राइवर मे रोल नम्बर 1110,1453,1558, के ड्राइविंग लाईसैंस 18 वर्ष से कम आयु मे बने हुऐ है जब कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना गैर कानुनी है नियमो का उल्लघन करने वाले ऐसे अधिकारीयो के खिलाफ जांच करवा कर उचित कार्यवाही की जावे । 2. उक्त भर्ती के दौरान चयनित उम्मीदवार रोल नम्बर 1564 द्वारा आवेदन पत्र के साथ जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है उस का अनुभव दिनांक 01.09.2003 से 01.01.2010 तक दर्शाया गया है लेकिन उसका ड्राइविंग लाईसैंस दिनांक 05.08.2004 को जारी किया हुआ है लाईसैंस बनने से पहले का अनुभव भर्ती प्रक्रिया मे हुई धाधली को स्पष्ट दर्शाता है । 3. उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान केवल लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर मैरिट सुचि बनाकर उम्मीदवारो का चयन किया गया है । जबकी ड्राइविंग टैस्ट मुल आधार होता है उसे सजांन मे न लेना नियमो विज्ञापन कि शर्तो का घोर उल्लघंगन है । 4. उक्त पदो पर भर्ती का परिणाम दिनांक 31.08.2013 को शनिवार के दिन घोषित कर चयनित उम्मीदवारो के बुलाया पत्र पंजिकृत डाक से प्रेषित किये गये और इन मे से अधिकतर को ज्वाइनिंग दिनांक 31.08.2013 व 02.09.2013 को करवाना संदेहजनक है । क्योकि शनिवार व रविवार को कार्यालय का अवकाश होता है । 5. उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार रोल नम्बर 3145 की जन्म तिथि 14.03.1975 है ड्राइविंग लाईसैंस मे जन्म तिथि 14.03.1971 है जिसे दिनांक 05.05.1989 को ड्राइविंग लाईसैंस मात्र 14 वर्ष 2 माह व 16 दिन की उम्र मे जारी करके नियमो का उल्लघन किया गया है । 6. उक्त भर्ती के दौरान चयनित उम्मीदवार रोल नम्बर 3464 द्वारा आवेदन के साथ जो अनुभव प्रमाण पत्र ( जो कि 5 वर्ष के अनुभव की शर्त थी ) संलग्न नहीं किया गया था इसके बावजूद उसे साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करना व चयनित करना पूर्णतया: नियमो कि अनदेखी करना और किसी गडबडी की और संकेत करता है आर टी आई एक्ट के तहत प्राप्त सुचना अनुसार उनका अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 15.05.2013 संलग्न करना मिलीभगत को दर्शाता है 7. उक्त भर्ती प्रक्रिया के बाद आर टी आई एक्ट 2005 के तहत मांगी गई जानकारी मे बुलावा पत्र कि प्रति मे किसी भी उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं है लेकिन प्रथम अपील अधिकारी की सुनवाई मे दिनांक 20.03.2014 को जो बुलावा पत्र की प्रति प्रदान की गई उसमे सभी उम्मीदवारो के हस्ताक्षर व दिनांक सहित है इन तथ्यो से पुर्णतय पता चलता है कि इस भर्ती प्रक्रिया मे बहुत गडवडी की गई है 8. उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवार ( 10+2 व उपरी) को दर किनार करके मात्र आठवी तक पढे उम्मीदवारो का अधिकतर चयन किया गया है यह भी संन्देपसस्त है । उक्त आरोपो की पुर्ण पडताल नि० अनिल कुमार रा.चौ.ब्यूरो (ह) हिसार द्वारा पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार की सिधी देख रेख मे की गई जो आरोप की पडताल से आरोप न० 2,3,4 व 7 सिद्द होने नही पाये गये है तथा आरोप न० 1,5 व 6 सिद्द होने पाये गये है । पडताल से पाया गया कि अनुक्रमांक 1453 धीरज पुत्र श्री सुबे सिंह जाति जाट वासी खरकडा तहसील हांसी जिला हिसार का चालक लायसैंस दिनांक 11.07.1996 को उप मण्डल अधिकारी हांसी से जारी किया जाना पाया गया है उसके चालक लाईसैंस पर जन्म तिथी 30.07.1978 दर्शाई गई है जो कार्यालय उप मण्डल अधिकारी हांसी के तत्कालीन लायसैंस लिपिक रामनिवास पुत्र श्री छोटुराम जाति जाट वासी दयाल सिंह कालोनी बरवाला रोड हांसी द्वारा धीरज उक्त का चालक लाईसैंस 17 साल 11 माह

11 दिन की आयु में धीरज उक्त से मिलीभगत करके अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करके जारी किया जाना पाया गया। अनुक्रमांक 1558 हेमराज पुत्र श्री रूप सिंह जाति जाट वासी डिघल तहसील बेरी जिला झज्जर के चालक लाईसेंस में जन्म तिथि 03.08.1971 व जारी तिथि 11.04.1986 पाई गई जो उक्त लाईसेंस 14 साल 8 माह 8 दिन की आयु में जारी होना पाया गया चालक लाईसेंस के बारे एस.डी.एम. कार्यालय झज्जर से तसदीक किये जाने पर यह चालक लाईसेंस उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 232/एल.सी. दिनांक 25.11.2014 अनुसार ड्राइविंग लाईसेंस नं० 07516/86 दिनांक 11.04.1986 पर श्री रोहताश पुत्र भल्ले राम निवासी वजीरपुर के नाम दर्ज होना पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अनुक्रमांक 1558 हेमराज का चालक लाईसेंस फर्जी होना पाया गया है फर्जी ड्राइविंग लाईसेंस ओल्ड नं० 7516/86 जारी तिथि 11.04.1986 का जगराम पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह कौम चमार वासी 998/10 ताऊ नगर रामगोपाल कालोनी रोहतक तत्कालीन लेखाकार कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रोहतक हाल कार्यालय महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 13.01.1997 को बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किये नवीनीकरण करवाया गया है। अतः जगराम पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह कौम चमार वासी 998/10 ताऊ नगर रामगोपाल कालोनी रोहतक तत्कालीन लेखाकार कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रोहतक ने अनुक्रमांक 1558 हेमराज उक्त से मिलीभगत करके फर्जी चालक लाईसेंस का नवीनीकरण करवा कर अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करके सरकार के नियमों की अवेहलना की है अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्रह्मण वासी मकान नं० 222 न्यू जवाहर नगर रायपुर रोड हिसार के आठवीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 14.03.1975 है व उसके ड्राइविंग लाईसेंस पर जन्म तिथि 14.03.1971 है। ड्राइविंग लाईसेंस ओल्ड नं० 58885W Original issue date 05.05. 1989 है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाईसेंस पर अंकित जन्म तिथि भिन्न भिन्न हैं। अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार का चालक लाईसेंस 14 वर्ष 1 महीना 21 दिन की आयु में श्री महाबीर सिंह तत्कालीन चालक लाईसेंस लिपिक कार्यालय एस.डी.एम. हिसार द्वारा अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार से मिलीभगत करके उसका चालक लाईसेंस 18 वर्ष से कम आयु में जानबुझकर गलत ढंग से जारी करवा कर अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया है अनुक्रमांक 3464 योगेश कुमार का ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र 01 मार्च 2005 से 31 दिसम्बर 2010 तक का आवेदन प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया गया था जो। Apex cargo packers & moyers गुडगांव से जारी शुदा है योगेश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी धोल कोट ने एम.डी.यू. रोहतक के रोल नं० 413786 के अनुसार सेठ मेघ राज जिन्दल राजकिय महाविधालय सिवानी से अप्रैल 2009 में बी.ए. की कक्षा पास की थी। कालेज रिकार्ड के अनुसार अप्रैल 2009 में रोल नं० 413786 के अनुसार योगेश कुमार उक्त सेठ मेघ राज जिन्दल राजकिय महाविधालय सिवानी में रैगुलर विधार्थी रहा है। जो रैगुलर विधार्थी होते हुये फर्जी ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया गया है। इस सम्बन्ध में Apex cargo packers & moyers गुडगांव ट्रांसपोर्ट मालिक विनोद कुमार पुत्र वेद पाल जाति जाट वासी किरमारा के कथन अनुसार योगेश कुमार अनुक्रमांक 3464 ने Apex cargo packers & moyers गुडगांव ट्रांसपोर्ट में बतौर ड्राइवर कार्य नहीं किया। अशोक कुमार पुत्र गोपी राम निवासी जाखोद खेडा पूर्व कर्मचारी Apex cargo packers & moyers गुडगांव ट्रांसपोर्ट द्वारा योगेश कुमार उक्त का फर्जी ड्राइविंग अनुभव प्रमाण मिलीभगत करके तैयार किया जाना पाया गया है तथा उक्त कार/जीप ड्राइवरो की भर्ती के लिये जो चयन कमेटी गठित की गई थी उस में श्री सुरत दहिया पूर्व रजिस्ट्रार चयन समिति

अध्यक्ष (सेवा निवृत्त 31.08.14) व 2 डा० मुकेश कुमार गर्ग Assistt.Prof. Collage of Agril. Engg.& Technology 3. मोहन लाल मुन्जाल पुर्व उपनियंत्रक ( सेवा निवृत्त दिनांक 30.10.14) 4. डा० राजेन्द्र प्रसाद सहारण हाल परियोजना निदेशक अनुसंधान निदेशालय चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय हिसार सदस्य थे जिन्होंने अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार अनुक्रमांक 1453 धीरज कुमार व अनुक्रमांक 1558 हेमराज चयनित उम्मीदवारो के शैक्षणिक प्रमाण पत्रो तथा चालक लाईसेंस मे जारी तिथियो को गहनता से अवलोकन नही करके अपनी ड्यूटी मे लापरवाही की जानी पाई गई पडताल उपरान्त नि० अनिल कुमार रा.चौ.ब्यूरो हिसार ने श्री सुरत सिंह दहिया पुर्व रजिस्ट्रार चयन समिति के अध्यक्ष (सेवा निवृत्त 31.8.14) व मोहन मुन्जाल पुर्व उपनियंत्रक ( सेवा निवृत्त 30.10.14) के विरुध हरियाणा सिविल सेवाएं ( दण्ड एवं अपील ) अधिनियम की 2.2 बी के अनुसार तथा डा० मुकेश कुमार गर्ग Assistt.Prof. Collage of Agril. Engg.& Technology व डा० राजेन्द्र प्रसाद सहारण हाल परियोजना निदेशक अनुसंधान निदेशालय चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय हिसार चयन समिति के सदस्यो खिलाफ हरियाणा सिविल सेवाएं ( दण्ड एवं अपील ) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विभागीय कार्यवाही की सिफारिस की तथा अनुक्रमांक 1453 धीरज पुत्र श्री सुबे सिंह जाति जाट वासी खरकडा तहसील हांसी जिला हिसार अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्रहामण वासी मकान न० 222 न्यू जवाहर नगर रायपुर रोड हिसार अनुक्रमांक 1558 हेमराज पुत्र श्री रुपसिंह जाति जाट वासी डिघल तहसील बेरी जिला झज्जर हाल मकान न० 777/31 छोटुराम कालोनी रोहतक अनुक्रमांक 3464 योगेश कुमार पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह जाति चमार गावं धोलकोट डाकघर खेडा तहसील सिवानी जिला भिवानी , अशोक कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट वासी जाखोद खेडा तहसील आदमपुर जिला हिसार . रामनिवास पुत्र छोटु राम निवासी दयाल सिंह कालोनी हांसी पुर्व चालक लाईसेंस लिपिक एस.डी.एम. कार्यालय हांसी , महाबीर सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति जाट निवासी गावं नीमली तहसील दादरी जिला भिवानी पुर्व चालक लाईसेंस लिपिक एस.डी.एम. कार्यालय हिसार जगराम पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति चमार निवासी मकान न० 998/10 रामगोपाल कलोनी रोहतक तत्कालीन लेखाकार कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रोहतक के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 420,467,468,471,120बी व 13(1) D PC Act के तहत अभियोग अकिंत किये जाने व तफतीश के दौरान अगर किसी अन्य की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी देख लिए जाने की सिफारीस करके पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार के माध्यम से महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भिजवाई गई महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15935/एस.वी.बी./एच दिनांक 02.11.2015 अनुसार सरकार को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 66/34/14-3 चौकसी II दिनांक 04.01.2016 की अनुपालना मे महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठाकन क्रमांक 444/1-3/एस.वी.बी./एच दिनांक 08.01.2016 के अनुसार अनुक्रमांक 1453 धीरज पुत्र श्री सुबेसिंह जाति जाट वासी खरकडा तहसील हांसी जिला हिसार ,अनुक्रमांक 3145 सुनील कुमार पुत्र श्री ओमप्रकास जाति ब्रहामण वासी मकान न० 222 न्यू जवाहर नगर रायपुर रोड हिसार, अनुक्रमांक 1558 हेमराज पुत्र श्री रुपसिंह जाति जाट वासी डिघल तहसील बेरी जिला झज्जर हाल मकान न० 777/31 छोटुराम कालोनी रोहतक अनुक्रमांक 3464 योगेश कुमार पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह जाति चमार गावं धोलकोट डाकघर खेडा तहसील सिवानी जिला भिवानी , अशोक कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट वासी जाखोद खेडा तहसील आदमपुर जिला हिसार . रामनिवास पुत्र छोटु राम

निवासी दयाल सिंह कालोनी हांसी पुर्व चालक लाईसेंस लिपिक एस.डी.एम. कार्यालय हांसी , महाबीर सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति जाट निवासी गावं नीमली तहसील दादरी जिला भिवानी पुर्व चालक लाईसेंस लिपिक एस.डी.एम. कार्यालय हिसार जगराम पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति चमार निवासी मकान न० 998/10 रामगोपाल कलोनी रोहतक तत्कालीन लेखाकार कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रोहतक के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 420,467,468,471,120बी व 13(1) D PC Act के तहत अभियोग अंकित किये जाने व तफतीश के दौरान अगर किसी अन्य व्यक्ति की कोई मिलीभगतता पाई जाने पर उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने के आदेश प्राप्त होने पर प्राप्ता आदेशो की अनुपालना मे उक्त सभी 8 कसो के खिलाफ मु० बा जुर्म मजकुर दर्ज रजि० करके मिशाल मु० हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल पांच फाईले जांच क्रमांक 3/14 हिसार मय अन्तिम रिपोर्ट फाईल ) बराये तफतीश निजद निरीक्षक भेजी जा रही है नकुलात प्र०सू० रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व अन्य समन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जा रही है । sd Anil Kumar निरीक्षक प्रबन्धक अफसर थाना रा.चौ.ब्यूरो हिसार दि० 04.02.2016 अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा ब जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर हवाले महेन्द्र सिंह निरीक्षक रा.चौ.ब्यूरो हिसार के हवाले की गई । नकुलात FIRबतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EHC जयप्रकाश482/SRSईलाका मैजिस्ट्रेट हिसार वा पुलिस अधीक्षक हिसार के पास भेजी जा रही है ।

13

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:**

- (i) Registered the case and took up the investigation  
(ii) Directed (Name of the I.O.): MOHINDER SINGH  
NO A/34

OR

RANK: INSP  
to take up the investigation, OR

- (iii) Refused investigation due to:

OR

- (iv) Transferred to P.S.(name):  
On point of jurisdiction:

District:

**F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:**

**R.O.A.C.:**

14.

**Signature/Thumb Impression  
Of The Complainant/Informant:**

**Signature of Officer  
Name ANIL KUMAR  
Rank Insp No H/161**

15 Date and Time of dispatch to the court: at